

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76]

नई दिल्ली, रविवार, अप्रैल 1, 1973/चैत्र 11, 1895

No. 76]

NEW DELHI, SUNDAY, APRIL 1, 1973/CHAITRA 11, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Sepa ate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st April 1973

G.S.R. 184(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 223/72-Central Excises, dated the 1st December, 1972, the Central Government hereby fixes a tariff value of two hundred and sixty-five rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955)

[No. 103/73]

S. R. NARAYANAN Under Secy.

विश्व मंत्रालय

(राजस्व और वीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1973

सा० का० नि० 188 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और तमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्न सरकार के (राजस्व और वीमा विभाग) की तारीख 1 दिसम्बर, 1972 की अधिसूचना संख्या 223/73 के० उ० शु० को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 की उपमद संख्या (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए दो सौ पैंसठ रुपये प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य एतद्वारा नियत करती है।

परन्तु हम अधिसूचना से अन्तर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1455 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन बिश्री की जाने के लिए अपेक्षित चीनी पर लागू नहीं होगी।

[संख्या 108/73]

निर्देशक और प्रमुख निदेशक, अवर सचिव

Accession No.	IOD-11062
Date	25-6-76
Classified	
Processed	
Date of Transfer	